छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 1047 वर्ष 1994

अपीलार्थीगण	बबलू उर्फ बाबूलाल व एक अन्य
	विरुद्ध
उत्तरवादी	मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थीगण की ओर से सुश्री शर्मिला सिंघल अधिवक्ता।
उत्तरवादी/राज्य की ओर से श्री वैभव गोवर्धन लोक अभियोजक।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दांडिक अपील।

निर्णय
(07.01.2011)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जशपुरनगर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 91/1993 में दिनांक 19.08.1994 को पारित निर्णय के विरुद्ध पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को दस वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना अदा करने का दंड सुनाया गया है, जुर्माना अदा न करने पर चार महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि दिनांक 16.11.1992 को लगभग 16 वर्षीय अभियोक्त्री ने एफआईआर (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि

दिनांक 14.11.1992 को अपनी सहेली रिझी के निमंत्रण पर वह अपने दोस्तों के साथ उसके घर गई थी और भोजन करने के बाद रात वहीं रुकी थी। अभियोजन पक्ष के आगे के प्रकरण के अनुसार, लगभग 11 बजे अभियोक्त्री शौच के लिए घर से बाहर निकली और जब वह वापस आ रही थी, तो अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने उसे पकड़ लिया, उसे बस्ती के बाहर ले गए और जब उसने मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास किया, तो उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया, उसे खेत में फेंक दिया, अभियुक्त जागेश्वर ने उसके अंतर्वस्त्र फाड़ दिए और उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए, जिसके बाद अभियुक्त/अपीलार्थी बबलू उर्फ बाबूलाल ने भी ऐसा ही किया। अभियोक्त्री द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के आधार पर पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया और दिनांक 29.11.1992 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषी सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में 14 साक्षियों का परीक्षण कराया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थीगण के साक्ष्य भी अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को अस्वीकार किया और अपनी निर्दोषता तथा प्रकरण में झूठे फंसाए जाने का अभिवचन किया।

4. दोनों पक्षों का तर्क श्रवण करने के पश्चात विचारण न्यायालय ने ऊपर बताए अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषी सिद्ध किया और दंडादेश दिया।

5. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया, जिसमें दिया गया आक्षेपित निर्णय भी सम्मिलित है।

6. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने सूचित किया कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 2 जागेश्वर का दिनांक 11.05.2000 को निधन हो गया है और यह अपील केवल अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 बबलू उर्फ बाबूलाल से संबंधित है।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और अभियोक्त्री के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति उसे पहले से नहीं जानते थे, फिर भी एफआईआर में अभियुक्तगण के नाम दर्ज किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पहचान परेड या अभियुक्तगण की पहचान दर्शाने वाली किसी अन्य सामग्री के अभाव में पूरा अभियोजन प्रकरण विफल हो जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोक्त्री की मेडिकल रिपोर्ट उसके साक्ष्य का समर्थन नहीं करती है क्योंकि डॉ. लता गोयल (साक्षी-14) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई है क्योंकि घटना दिनांक 14/15.11.1992 की मध्यवर्ती रात्रि को हुई थी जबकि रिपोर्ट दिनांक 16.11.1992 को दोपहर 12:30 बजे अर्थात घटना के लगभग 48 घंटे बाद दर्ज की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा करने में अत्यधिक विलंब के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि घटना के बाद अभियोक्त्री चुप रही और उसने बलात्कार की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। यह तर्क दिया गया है कि घटना के समय अभियुक्तगण का एक-दूसरे को नाम से पुकारना, अभियुक्तगण को दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, विशेषकर तब जब अभियोक्त्री उन्हें नहीं जानती थी और इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाल किशन विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य (AIR 2009 SC 812), **महावीर विरुद्ध दिल्ली राज्य (AIR 2008 SC 2343)** और **लल्लीराम और अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2008) 10 SCC 69** के निर्णयों का दृष्टांत प्रस्तुत किया।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का विरोध करते हुए, राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों ने सहमति का दावा किया है और पीड़िता के अनुसार, वह लगभग 4-5 घंटे तक अपीलार्थी के साथ थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त व्यक्ति अभियोक्त्री को नहीं जानते थे। उनका तर्क है कि डॉ. लता गोयल (साक्षी-14) के साक्ष्य के अनुसार, छूने पर अभियोक्त्री को अपने दोनों हाथों और गुसांगों में दर्द हो रहा था। इसके अतिरिक्त, इस साक्षी ने कहा है कि अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए गए होंगे, लेकिन उसके साथ बलात्कार की कोई निश्चित पुष्टि नहीं की जा सकती। अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के संबंध में, उनका तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **बाल किशन विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य (उपरोक्त)** प्रकरण में न्यायालय का निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न है, क्योंकि उस प्रकरण में अभियोक्त्री ने अभियुक्तगण को कठिनाई से ही देखा था, जबकि वर्तमान प्रकरण में जिस समारोह में उसे आमंत्रित किया गया था, उसमें उसने अभियुक्तगण को देखा था क्योंकि वे उक्त घर में लाउडस्पीकर लगाने आए थे। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री को घर से एक एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए और उसे चार पांच घंटे तक अपने साथ रखा। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि पहचान परेड अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण साबित करने में सहायता कर सकती थी, फिर भी यह केवल एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सहायक साक्ष्य है और इस प्रकार केवल अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है। अभियुक्तगण की पहचान न्यायालय में अभिलिखित है और इस पहचान का साक्षिक मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसा प्रकरण है जिसमें अभियोक्त्री ने अभियुक्तगण के साथ पर्याप्त समय व्यतीत किया है। वर्तमान परिस्थितियों में पहचान परेड न करना घातक नहीं है। उनका तर्क है कि एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) सकारात्मक है। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री को अपने झूठे फँसाए जाने के संबंध में कुछ भी नहीं सुझाया और अभियोक्त्री अपने बयान पर अडिग रही और यही तथ्यात्मक स्थिति के कारण निम्न न्यायालय द्वारा दिया गया दोषसिद्धि विधि के अनुरूप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक को उसे उसकी सहेली का निमंत्रण मिला था और वह अपने अन्य मित्रों के साथ उसके घर गई थी। खाना खाने के बाद वह रात वहीं रुकी। रात करीब 11 बजे वह शौच के लिए गई थी और लौटते समय अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने उसे पकड़ लिया, उसे बस्ती से बाहर ले गए और जब उसने सहायता के लिए चिल्लाने का प्रयास किया, तब उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने आगे बताया कि एक पेड़ के पास अभियुक्त/अपीलार्थी जागेश्वर ने उसे जमीन पर पटकने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद, दूसरा अभियुक्त बबलू उर्फ बाबूलाल वहां आया, परंतु वह भी उसे जमीन पर पटकने में सफल नहीं हो सका फिर दोनों ने मिलकर उसे जमीन पर पटक दिया, अभियुक्त बबलू उर्फ बाबूलाल ने उसका पैर पकड़ लिया और उसके कपड़े उतारकर, अभियुक्त जागेश्वर ने उसकी अंतर्वस्त्र फाड़ दिया और फिर अपना गुप्तांग उसके गुप्तांग में डाल दिया इसी तरह का कृत्य अभियुक्त बबलू उर्फ बाबूलाल ने भी किया। उस समय

गांव के तीन लड़के वहां आए और अभियुक्तगण से उसे छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद वे उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद वह उन तीनों लड़कों के साथ वापस गांव चली गई। वह हेलना के घर लौट आई, लेकिन उसने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। अभियोक्त्री के अनुसार, न्यायालय में उपस्थित दोनों अभियुक्त वही लोग हैं जो लाउडस्पीकर लेकर उसकी सहेली हेलना के घर आए थे। दिनांक 16.11.1992 को वह अपने गांव वापस आई और उसने अपनी मां को पूरी घटना सुनाई। उसने स्पष्ट किया कि उस समय वह माहवारी में थी और उस दौरान उपयोग किया जा रहा कपड़ा भी अभियुक्त जागेश्वर ने हटा दिया था। इसके बाद वह जशपुरनगर पुलिस थाना आई, जहां एफआईआर (प्रदर्श पी-1) पंजीबद्ध की गई, उसे चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया और उसकी साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) के अनुसार जब्त कर लिए गए। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया कि अभियुक्तगण उसी की जाति के हैं, लेकिन वे चर्च नहीं गए थे। उसने बताया कि घटना से पहले वह अभियुक्त/अपीलार्थीगण को नहीं जानती थी और घटना के समय जब वह शौच के लिए गई थी, तब उसने उन्हें दूसरी तरफ से आते देखा। उसके अनुसार, जब अभियुक्तगण ने उसे उठाया, तो उसने चिल्लाने का प्रयास किया, परंतु मुंह कसकर बंद होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। उसने बताया कि घटना से पहले वह अभियुक्तगण के नाम नहीं जानती थी, परंतु चूंकि वे एक-दूसरे को नाम से पुकार रहे थे, तब उसे उनके नाम पता चले। उसने इस बात से स्पष्ट इनकार किया कि अभियुक्तगण ने सिर्फ छेड़छाड़ की थी, बल्कि उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि तीन लड़कों द्वारा उसे अभियुक्तगण के साथ देखे जाने के कारण उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस साक्षी ने कहा है कि वह अपनी सहमति के बिना लगभग 4-5 घंटे तक अभियुक्तगण के साथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी। उसने स्पष्ट किया है कि जब तीन लड़के घटनास्थल के पास पहुंचे, तो उसने उन्हें बुलाया और उनके साथ चली गई। उसने प्रतिपरीक्षण में आगे स्पष्ट किया है कि चूंकि आरोपी एक दूसरे का नाम लेकर बात कर रहे थे, इसलिए उसने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज कराई कि अभियुक्तगण में से एक गोरा और दूसरा सांवला था।

बर्था (अ.सा.-2) अभियोक्त्री की मां हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनकी बेटी रिझी के घर गई थी और वहां से लौटने के बाद उसने उन्हें अभियुक्तगण द्वारा किए गए बलात्कार के बारे में बताया। इस साक्षी के अनुसार, उन्होंने पीड़िता के पेटीकोट और साड़ी पर खून देखा और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थॉमस मिंज (अ.सा.-3) और अनिल कुमार मिंज (अ.सा.-4) उन तीन लड़कों में शामिल हैं जिन्होंने अभियोक्त्री और अभियुक्तगण को घटना स्थल पर देखा था, परंतु उन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है। अमृता बेग (अ.सा.-5) रिझी की बहन हैं, जिन्होंने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें भी पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है। डॉ टी.एन. शर्मा (अ.सा.-6) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियोक्त्री की आयु निर्धारित करने के लिए चिकित्सकीय परीक्षण किया था और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है। इस साक्षी के अनुसार, घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 12 से 17 वर्ष के बीच थी। रिजिनियुष बेग (अ.सा.-7) विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और उन्होंने विद्यालय रजिस्टर प्रस्तुत किया है जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 01.02.1976 अभिलिखित है और यदि इस तिथि को सही माना जाए तो घटना के दिन उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक थी। राम प्रकाश पांडे (अ.सा.-8) वह

पुलिस आरक्षक हैं जिन्होंने जब्त की गई कुछ वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा था। सहायक उप निरीक्षक बी.एन. सिंह (अ.सा.-9) अन्वेषण अधिकारी हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। घुनीराम (अ.सा.-10) पटवारी हैं जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-13) तैयार किया था। लिनस कुजुर (अ.सा.-11) अभियुक्त व्यक्तियों के अंतर्वस्त्रों की जब्ती के साक्षी हैं, जो (प्रदर्श पी-9 और पी-10) के अंतर्गत जब्त किए गए थे। फैबियोला (अ.सा.-12) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण के समर्थन में कुछ भी नहीं कहा है और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया है। डॉ. संजय गोयल (अ.सा.-13) ने अभियुक्त व्यक्तियों की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-15 और प्रदर्श पी-16) के माध्यम से उन्होंने राय दी थी कि वे यौन संबंध बनाने में सक्षम थे। डॉ. लता गोयल (अ.सा.-14) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय परीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट (प्रदर्श पी- 14) के अनुसार अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, परंतु वह अपने दोनों हाथों में दर्द की शिकायत कर रही थी, जो जांच करने पर सही पाई गई। इस साक्षी ने बताया है कि अभियोक्त्री को मासिक धर्म हो रहा था और उसके गुप्तांग पर कोई चोट नहीं थी और दो उंगलियां आसानी से उसकी योनि में प्रवेश कर गईं। इस साक्षी के अनुसार, जांच करने पर उसने अभियोक्त्री के गुप्तांग में दर्द देखा। इस साक्षी ने मत दिया है कि अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध हुआ होगा, लेकिन बलात्कार के बारे में कोई निश्चित मत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह यौन संबंध बनाने की आदी थी। इस साक्षी के अनुसार, मासिक धर्म के कारण स्लाइड तैयार नहीं की जा सकीं। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. साक्षियों के साक्ष्य, विशेषकर अभियोक्त्री के साक्ष्य की सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री के साथ अभियुक्तगण ने उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया था। अभियुक्तगण का बचाव यह है कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, जबकि निम्न न्यायालय के समक्ष यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि अभियोक्त्री ने अपनी सहमति दी थी। अभियोक्त्री से पूछा गया कि उसने अभियुक्तगण के साथ 4-5 घंटे बिताए और उसने अभियुक्तगण को झूठा फंसाया है, सिर्फ इसलिए कि तीन गांव के लड़कों ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, तो उसने इस बात से इनकार किया है। यह न्यायालय अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं पाता कि केवल इस आधार पर कि घटना के समय अभियुक्त एक-दूसरे को नाम से पुकार रहे थे, अभियुक्तगण को झूठे प्रकरण में नहीं फंसाया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पहचान परेड परीक्षण नहीं किया गया है। पहचान परेड परीक्षण केवल एक सहायक साक्ष्य है और इसकी जांच तभी की जा सकती है जब अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई अन्य ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हो। वर्तमान प्रकरण में अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अभियुक्तगण को अपने मित्र के घर में देखा था, क्योंकि वे लाउडस्पीकर लेकर वहाँ आए थे। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, अभियोक्त्री और अभियुक्तगण वहाँ काफी देर तक रहे, और उनके द्वारा बारी-बारी से पीड़िता का बलात्कार किया गया, और अभियुक्त जागेश्वर ने बलात्कार की घटना को दोहराया भी। इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने अभियुक्तगण का विवरण देते हुए कहा है कि एक का रंग गोरा था जबकि दूसरे का रंग सांवला था और दोनों की लंबाई कम थी। अभियोक्त्री ने यह भी कहा है कि अभियुक्तगण उसकी जाति के हैं, हालांकि वे चर्च नहीं गए थे। हालांकि अभियोक्त्री ने कहा है कि अभियुक्तगण उसे पहले से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं जानते थे, लेकिन यदि उसके पूरे साक्ष्य पर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन्हें ठीक से पहचानने की स्थिति में थी क्योंकि वे उसे उठाकर किसी दूर स्थान पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाल किशन (उपरोक्त) प्रकरण वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता, क्योंकि उस प्रकरण के तथ्य और वर्तमान प्रकरण के तथ्य पूरी तरह भिन्न हैं। बाल किशन (उपरोक्त) प्रकरण में अभियोक्त्री को अभियुक्तगण की पहचान करने का शायद ही कोई अवसर मिला था, जबकि वर्तमान प्रकरण में अभियोक्त्री को अभियुक्तगण की पहचान करने का पर्याप्त अवसर मिला था, इसके अतिरिक्त उन्होंने एक-दूसरे को नाम से पुकारा था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय में अभियोक्त्री ने अभियुक्तगण की स्पष्ट रूप से पहचान की और कहा कि "जब वह शौच के लिए बाहर आई, तो उसने न्यायालय में उपस्थित लोगों को देखा और वे लाउडस्पीकर के साथ हेलना के घर आए थे।" उसने कहा कि "न्यायालय में उपस्थित दो व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और कस्बे से बाहर ले गए।" इस प्रकार, जब साक्षियों, विशेष रूप से अभियोक्त्री के पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हैं, तो पहचान परेड न कराना अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय को अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह तर्क निराधार प्रतीत होता है कि यद्यपि पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसे कोई चोट नहीं आई और इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं। लल्लीराम और अन्य (उपरोक्त) प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी तथ्यों के आधार पर भिन्न है क्योंकि इस प्रकरण में अभियोक्त्री का साक्ष्य बहुत स्पष्ट है और उसमें कोई विरोधाभास या चूक नहीं दिखाई देती।

चिकित्सा रिपोर्ट में अभियोक्त्री की चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली महिला चिकित्सक ने बताया है कि अभियोक्त्री अपने दोनों हाथों में दर्द की शिकायत कर रही थी, जो चिकित्सकीय परीक्षण में सही पाया गया। अभियोक्त्री की परीक्षण करने वाली महिला चिकित्सक ने यह भी बताया है कि छूने पर वह अपने गुप्तांग में भी दर्द की शिकायत कर रही थी। सहमति का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक ओर अपीलार्थीगण ने झूठे फंसाए जाने का दावा करते हुए कहा है कि वे घटना से पहले अभियोक्त्री को नहीं जानते थे और दूसरी ओर उन्होंने सहमति का दावा किया है। इसके अलावा, अभियोक्त्री मासिक धर्म से गुजर रही थी और इसलिए अभियुक्तगण को उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पहचान परेड के प्रभाव से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने **रॉनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अलवारिस आदि विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (AIR 1998 SC 1251** में प्रकाशित) के प्रकरण में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> *"19- साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 सुसंगत तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित है जो सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त कहा गया है कि वे तथ्य जो किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं, जिनकी पहचान सुसंगत है, जहाँ तक वे उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं, सुसंगत हैं। अतः पहचान का साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक सुसंगत साक्ष्य है, जहाँ साक्ष्य में विचारण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति की पहचान शामिल है। न्यायालय में साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य, और उसके द्वारा अभियुक्त की पहचान, ठोस साक्ष्य है, परंतु अपनी प्रकृति के कारण यह स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। पहचान परेड में दिया गया पहचान का साक्ष्य ठोस साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल*

पुष्टिकरण साक्ष्य है। यह अन्वेषण के अंतर्गत आता है। ठोस साक्ष्य न्यायालय में साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य है। पहचान परेड का उद्देश्य साक्षी की अवलोकन क्षमता समझ, पहले देखी गई बातों को याद करने की क्षमता, अभियुक्त की पहचान के साक्ष्य की विश्वसनीयता की शक्ति का परीक्षण करना और यह पता लगाना है कि क्या इसे विचारण के विश्वसनीय पुष्टिकरण साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यदि न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करने वाला कोई साक्षी लंबे समय बाद पहली बार न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करता है, तो ऐसे अप्रमाणित साक्ष्य का प्रमाणिक मूल्य बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि ऐसे साक्ष्य पर विश्वास करना असुरक्षित हो जाता है। परंतु यदि कोई साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता है और ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनसे न्यायालय में उसकी पहचान की पुष्टि होती है, और यदि असंगति की कोई अंतर्निहित संभावना नहीं है, तो अभियुक्त की पहचान के संबंध में न्यायालय में दिए गए उसके साक्ष्य को किसी अन्य स्वीकार्य परंतु अप्रमाणित साक्ष्य की तरह विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अ.सा. -29, अ.सा.-34, अ.सा.-42 और अ.सा.-45 द्वारा न्यायालय में पहली बार अपीलार्थीगण की पहचान, जबकि उन्होंने पहले पहचान परेड में उनकी पहचान नहीं की थी, टिप्पणी का विषय रहा है। जहां तक अ.सा. - 42 और अ.सा. - 45 द्वारा अपीलार्थीगण की पहचान का संबंध है, निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इसे स्वीकार नहीं किया था, जबकि अ.सा. - 29 और अ.सा. - 34 द्वारा अपीलार्थीगण की पहचान को निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने स्वीकार कर लिया था, और हमारी राय में यह सही था। हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि अभियुक्त की पहचान किसी साक्षी के द्वारा किया गया है यदि साक्षी को अभियुक्त से बातचीत करने या उसकी विशिष्ट विशेषताओं को देखने का अवसर मिले, तो उसकी पहचान से उसका साक्ष्य स्पष्ट हो जाता है पहचान परेड टेस्ट आवश्यक नहीं होगा। उपर्युक्त पहलू से, अ.सा. - 42 और अ.सा. - 45 को निम्न न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सही रूप में खारिज कर दिया है, क्योंकि अ.सा.-42 एक रिक्शा चालक

*है जिसे अपीलार्थीगण को पास से देखने का कोई अवसर नहीं मिला, जिन्हें वह रात में रूमन बंगले ले गया था। इसी तरह, अ.सा. - 45 द्वारा न्यायालय में **A**-1 की पहचान, जबकि वह पहचान परेड में शामिल नहीं था, का भी कोई प्रमाणिक महत्व नहीं है, क्योंकि वह साक्षी की दुकान पर एक ग्राहक के रूप में गया था और उसके पास **A**-1 को पास से देखने का कोई विशेष कारण नहीं था। परंतु अ.सा.-29 और अ.सा.-34 के संबंध में स्थिति अलग है। वे मृतक रोहन ओहल से उस समय बात कर रहे थे जब अपीलार्थीगण रूमन बंगले आए थे। वास्तव में, **A**-1 ने मृतक रोहन को शुभकामनाएं दीं, जिसने **A**-1 का परिचय नितिन अनिल स्वार्गे के रूप में कराया। इसके बाद, **A**-1 ने **A**-2 और **A**-3 का परिचय रोहन ओहल और अ.सा.-29 और अ.सा.-34 से कराया। उन्होंने लगभग 7-8 मिनट तक आपस में बात की और रोहन ओहोल के उन्हें घर के अंदर बैठने के लिए कहने पर, उन्होंने अपने गंदे जूते बरामदे में छोड़ दिए और घर में प्रवेश कर गए। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि यदि उन्होंने 24 जुलाई 1992 को पुलिस द्वारा उनके कथन अभिलिखित किए जाने के समय ही अपीलार्थीगण का नाम और विवरण नहीं दिया होता, तो बचाव पक्ष अपनी गहन और लंबी परीक्षण में पुलिस को दिए गए उनके पहले के कथन के संदर्भ में चूक और विरोधाभासों को अभिलेख पर ला सकता था। इस प्रकार, उक्त साक्षियों द्वारा विचरण के दौरान अपीलार्थीगण की पहचान के साक्ष्य पर, पहचान परेड की पुष्टि के बिना भी, निम्न न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उचित रूप से विश्वास किया था। इसलिए, हम निम्न न्यायालयों के उनके पहचान के साक्ष्य को स्वीकार करने के फैसले में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।*

*इसी प्रकार, **मलखानसिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, जो 2003 AIR SCW 3336** में प्रकाशित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि:*

"16- यह सर्वविदित है कि न्यायालय में पहचान का साक्ष्य ही मुख्य साक्ष्य होता है और यदि आवश्यक हो तो पहचान परीक्षण परेड न्यायालय में साक्षी की पहचान की पुष्टि करता है। हालांकि, बिना पहचान परीक्षण परेड के न्यायालय में पहचान के साक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह तथ्यों की न्यायालयों द्वारा तय किया जाने वाला विषय है। इस प्रकरण में निम्न न्यायालयों ने सर्वसम्मति से अभियोक्त्री के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया है, इसलिए न्यायालय में उसके साक्ष्य की पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह सर्वमान्य रूप से विश्वसनीय पाई गई थी। हमें निम्न न्यायालयों के तर्क में कोई त्रुटि नहीं मिलती। प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री, अपीलार्थीगण को जानती भी नहीं थी और उसने किसी भी स्तर पर उनका नाम लेकर उन्हें झूठा फंसाने का कोई प्रयास नहीं किया। अपराध दिन दहाड़े हुआ था। अभियोक्त्री के पास उन अपीलार्थीगण के चेहरे देखने का पर्याप्त अवसर था जिन्होंने उसके साथ एक के बाद एक बलात्कार किया। बलात्कार से पहले, अपीलार्थीगण ने उसे धमकाया और डराया। बलात्कार के बाद, उन्होंने उसे फिर से धमकाया और डराया। इन सब में समय लगा होगा। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां पहचान करने वाली साक्षी ने अंधेरी रात में अपीलार्थीगण की केवल एक झलक देखी हो। उसके पास उनके चेहरे याद रखने का कारण भी था क्योंकि उन्होंने एक जघन्य अपराध किया था और उसे शर्मिंदा किया था। इसलिए, उसके पास उनके चेहरे देखने का भरपूर अवसर था। वास्तविक रूप में, अपने दर्दनाक और दुखद अनुभव के कारण, अपीलार्थीगण के बारे में तथ्य उसकी स्मृति में अच्छी तरह से अंकित हो गए होंगे, और उनकी पहचान के बारे में गलती करने की कोई संभावना नहीं थी। घटना 4 मार्च, 1992 को घटी थी, और उसने 27 अगस्त, 1992 को न्यायालय में साक्ष्य दिया था। अभियोक्त्री एक ऐसी साक्षी प्रतीत होती है जिस पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है और यदि अपीलार्थीगण ने वास्तव में अपराध नहीं किया था, तो उसके द्वारा उन्हें अपराध के अभियुक्त के रूप में गलत तरीके से पहचानने का कोई कारण नहीं है। इन परिस्थितियों में, यदि निम्न न्यायालयों ने सर्वसम्मति से यह माना है कि न्यायालय में अभियोक्त्री द्वारा अपीलार्थीगण की पहचान को और अधिक पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, तो हमें अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का विवेचन करने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पश्चात निम्न न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।"

अतः उपर्युक्त विधिक स्थिति के आलोक में, इस प्रकरण में परीक्षण पहचान परेड आयोजित न करना अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं होगा, क्योंकि अभियोक्त्री ने विवशता में ही सही, अभियुक्तगण के साथ पर्याप्त समय व्यतीत किया है।

12. अभियोक्त्री का साक्ष्य न्यायालय को पूर्ण विश्वास दिलाता है और अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को सभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय का दोषसिद्धि वाला भाग न्यायसंगत और उचित है तथा अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियुक्त/अपीलार्थी को दिया गया दंड के संबंध में, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने **ज़िंदार अली शेख विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2009) 3 एससीसी 761** में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण में घटना लगभग 18 वर्ष पहले हुई थी और अभियुक्त/अपीलार्थी लगभग 11 महीने जेल में रह चुका है, इसलिए उस पर अधिरोपित दंड को उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

14. निःसंदेह, अभिलेख में उपस्थित पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त/अपीलार्थी की प्रश्नाधीन अपराध में संलिप्तता दर्शाते हैं, और ऐसे में उसे पहले से ही जेल में बिताए गए 11 महीनों की अवधि कम करके रिहा करना विचार से परे है। हालांकि, मानवीय दृष्टिकोण से और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना 1992 में घटी थी और इस अपील के लंबित रहने के दौरान एक

अभियुक्त/अपीलार्थी का निधन हो चुका है, न्यायालय का यह सुविचारित राय है कि यदि कारावास को दस वर्ष से घटाकर सात वर्ष कर दिया जाए तो न्याय के हित का उल्लंघन नहीं होगा।

15. इस प्रकार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि का आक्षेपित भाग स्थिर रखा गया है। दंड के उस भाग में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार दस वर्ष के सश्रम कारावास के स्थान पर अपीलार्थी को सात वर्ष के सश्रम कारावास का दंड भुगतना होगा।

सही/-
प्रितिंकर दिवाकर,
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur